न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 711/2026

CNR NO.UPBR01002839-2026

राशिद पुत्र रियासत,
निवासी ग्राम केसरपुर, थाना सिरौली, जनपद बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 862/2026

CNR NO.UPBR01003455-2026

1. शमीम पुत्र अनीस अहमद,
2. **जीशान** पुत्र हनीफ,
निवासीगण ग्राम केसरपुर, थाना सिरौली, जनपद बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–44/2026
धारा–103(1) बी0एन.एस.
थाना–सिरौली, जनपद–बरेली।

07.03.2026

1. थाना सिरौली, जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 44/2026, धारा 103(1) बी0एन.एस. में आवेदकगण/अभियुक्तगण **शमीम** एवं **जीशान** की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2. उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थना एक ही मुकदमा अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं। अतः उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3. आवेदक राशिद के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि घ ाटना दिनॉक 02.02.2026 समय 18.00 बजे की कही गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनॉक 03.02.2026 को समय 4.53 बजे दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझकर झूठा मुकदमा बनाया गया है। वादी के अनुसार उसके बेटे ने शराब पी, शराब के नशे में यदि मृतक छत से गिर गया तो उसके लिये आवेदक जिम्मेदार नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा मामला फर्जी बनाया गया है, मृतक घंघोर शराबी था, शराब पीकर नशे में कहीं गिर गया। पुलिस ने घर से ले जाकर फर्जी मुठभेड दिखाकर आवेदक के पैर में गोली मारकर दिनॉक 04.02.2026 को जेल भेज दिया। आवेदक की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि मामले में मात्र चार गवाहों के बयान अंकित किये गये हैं। गवाह संजय दिवाकर एवं गुड्डू शराब की दुकान के सेल्समैन तथा दीपक एवं आकाश कैन्टीन का कर्मचारी होना बताया गया है जिनके साक्ष्य में अभियुक्तगण व मृतक के बीच झगड़ा होने का साक्ष्य दर्ज किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा मामले को रंगत देने के लिए उक्त साक्ष्य गढा गया है। वस्तुतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतक स्वंय शराब के नशे में छत से गिरा है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनॉक 04.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। अतः जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

4. आवेदकगण शमीम एवं रिजवान के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें बेवजह रंजिशन पार्टीबन्दी के कारण झूठा फॅसाया गया है। आवेदकगण द्वारा मृतक को शराब पिलाकर धक्का देकर मारना बताया गया है जबकि मृतक स्वंय नशे में गिरा है। आवेदकगण शराब नहीं पीते हैं तथा मृतक शराबी व्यक्ति था। मृतक कहीं दूसरी जगह पर गिरा है तथा वादी मुकदमा द्वारा घटनास्थल बदल दिया गया है। आवेदकगण की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि घटना व झगड़ा शराब की दुकान पर होना बताया गया है। उक्त झगड़े को साक्षीगण द्वारा देखे जाने की कोई संभावना नही हे। तीनों नामजद अभियुक्तगण में से किस अभियुक्त ने मृतक को धक्का दिया या किस अभियुक्त से मृतक का झगड़ा हुआ या किससे उसकी दुश्मनी थी। वस्तुतः आवेदकगण की मृतक से कोई रंजिश थी ही नहीं। मृतक दुर्घटनावश ही छत से गिरा है जिसे रंगत देने के लिए झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आवेदकगण के विरूद्व जैसी घटना बतायी गयी है वैसी घटना घटित नहीं हुई है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उनको किसी वाद में सजा नहीं हुई है। अतः जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

5. प्रभारी विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदकगण के मृतक का जाना विवादित नहीं है, सबने मिलकर शराब पिया है और शराब पीने के दौरान ही मृतक व अभियुक्तगण के मध्य विवाद हुआ और उसी के मध्य धक्कामुक्की हुई तथा जानबूझकर धक्का देकर उसे छत से गिराया गया। शराब की दुकान के सेल्समैन व कैन्टीन के कर्मचारी स्वाभाविक गवाह हैं जिन्होंने घटना की साक्ष्य दी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. मैंने उभय पक्षों के तर्कों को विस्तार से सुना तथा समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनॉक 02.02.2026 को समय करीब शाम 05.00 बजे वादी के बेटे विनोद को गॉव के ही राशि पुत्र रियासत, ामीम पुत्र अनीस अहमद तथा जीशान पुत्र हनीफ अपने साथ लेकर गये थे। उसका बेटा अपनी नई मोटर साईकिल लेकर इनके साथ चला गया। शाम करीब 6.00 बजे उसके बेटे विनोद को राशिद, शमीम तथा जीशान अपने साथ ग्राम गुरगॉवा ले जाकर शराब के ठेके पर शराब पिलाई और फिर छत से धक्का दे दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और वे तीनों मौके से भाग गये। पूर्व में उसके बेटे का इन लोगों के साथ विवाद हो चुका था इसलिए बदला लेने के लिए अपने साथ लेकर गये थे। जब उसे सूचना मिली तो वह मौके पर पहुॅचकर अपने बेटे को लेकर बरेली अस्पताल भागा, जहॉ रास्ते में ही उसके बेटे की मृत्यु हो गयी।

8. शव परीक्षण आख्या के अनुसार मृतक की नाक की दोनो ही नासिकाओं से रक्त श्रवित हो रहा था और उसके सिर पर बॉयी तरफ बॉये कान से ठीक ऊपर 12.00 सेमी. **X** 10.00 सेमी. का नीलगू निशान पाया गया जिसके नीचे पैराइटल टेम्पोरल हड्डी में अस्थिभंग पाया गया।

9. उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर ही आवेदकगण की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि मृतक की मृत्यु छत से गिरने की चोट की वजह से आयी है। किसी भी अभियुक्तगण द्वारा उसके सिर पर किसी भी हथियार से कोई चोट कारित नहीं की गयी। चिकित्सक की राय में मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण सदमा व कोमा में होने की वजह से मृत्यु हुई।

10. मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त घटना में आवेदकगण व मृतक द्वारा एक साथ शराब का सेवन किये जाने , शराब का सेवन दुकान

की छत पर किये जाने , शराब की दुकान की छत पर विवाद होने , उक्त विवाद के कारण उत्पन्न परिस्थिति, आवेदकगण की तरफ से दुर्घटनावश मृतक के गिरने की व्यक्त संभावना तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि आवेदकगण की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण **राशिद, शमीम** एवं **जीशान** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक प्रत्येक को मु0 80,000/–(अस्सी–अस्सी हजार)/रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 6400/2025 श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0 प्र0 राज्य व एक अन्य के मामले में पारित निर्णय दिनॉकित 12.08.2025 के अनुपालन में** समान धनराशि के एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर, अभियुक्त की पहचान व पते के सत्यापन के उपरान्त उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस.एम.डब्लू.पी.(क्रिमनल) नं0–4 सन् 2021 में पारित आदेश दिनांकितः 01.02.2023 के अनुपालन में जारी पत्र सं0 448/ एसएलएसए–06/2021 (Shubh/haider) दिनांकितः फरवरी 13, 2023 के क्रम में जमानत आदेश की साफ्ट कापी सम्बन्धित जेल अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software में करें और यदि सात दिन के अंदर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0–862/2026 एवं रिमाण्ड/विचारण पत्रावली में रखी जाये।

(प्रदीप कुमार सिंह–II)
आई.डी.यू.पी.1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

दिनांकः 07.03.2026

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.03.07 17:42:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court